

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ^{गंगापुर सिटी} ~~चौथ का बरवाड़ा~~, जिला सवाई माधोपुर
 सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर ग्राम पंचायत-

प्रकरण संख्या:-

दिनांक:-

उनवान

श्री हरगोविन्द पुत्र मूलचन्द
जाति रेणु हा. भावता

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
~~चौथ का बरवाड़ा~~, जिला सवाई माधोपुर
बरावाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का अनुकुल भू. अ. नि. अनुकुल एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम भावता पो. ह. अनुकुल की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 14 व 18 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>हरगोविन्द पुत्र मूलचन्द जाति रेणु</u> <u>है. 1/160 हा. 12 भावता</u>	<u>देही प्रविष्टि</u>	1. <u>हरगोविन्द पुत्र मूलचन्द</u> <u>जाति रेणु है. 1/32 एच</u>
2.	<u>हरगोविन्द पुत्र मूलचन्द जाति रेणु</u> <u>है. 1/40 हा. 12 भावता</u>	<u>खाता सं. 14 व 18</u> <u>(हमाउर फटे)</u>	<u>बै. 1/40 हा. 12 भावता</u> <u>है. 1/40</u>

(खाता सं. 14 व 18)

उपखण्ड अधिकारी

~~चौथ का बरवाड़ा~~
 गंगापुर सिटी

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री हरगोविन्द पुत्र मूलचन्द जाति रेणु भावता



उपखण्ड अधिकारी

चौथ का बरवाड़ा
 गंगापुर सिटी
 उपखण्ड अधिकारी
 गंगापुर सिटी (राज०)

7512
 2-12-20

उप 170
 25

2025
 570